

Order No:- 21L/2020-21



केंद्रीय विद्यालय संगठन (मु.)
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.
Tel.: 011-2695168, 8860748880
Email- mpquota@kvs.gov.in
Website: www.kvsangathan.nic.in

F. No.110331/03/2020-21/KVS(HQ)/Sp.Disp/MP (LS)

दिनांक- 06.08.2020

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश

माननीय सांसद **Shri Raju Bista** के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. 512 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2020-21 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	SHREYON SUTRADHAR	RABI SUKRADHAR, M 9641715192 , 8617313880	I	KAWAKHALI CRPF SILIGURI
2	KOYELIKA ROY	APU ROY, M 9832629268	V	CRPF SILIGURI
3	BABUL DAS	BISWAJIT DAS, M 9832071243 , 9064546597	III	SUKNA
4	ANSH SHARMA	RAM PRASAD SHARMA, M 8918152599	IV	BENG DUBI
5	ANSH YADAV	MANJEE YADAV , M 9832064993	III	AFS BAGDOGRA
6	SAMBHAVANA THAPA	SIDDHARTHA THAPA, M 7431023452 , 8670131363	IX	AFS BAGDOGRA
7	ADITYA RAJ	INADMISSIBLE BECAUSE KV IS NOT IN THE CONSTITUENCY OF THE HON'BLE MP		
8	SYANTAN SAHA	SAJAL SAHA, M 9126081604 , 9832085802	V	KAWAKHALI CRPF SILIGURI
9	DARSHEEL CHHETRI	DEEPAK CHHETRI, M 9679479114	VI	AFS BENG DUBI
10	RAJNISH KUMAR	RANJIT SINGH, M 9434177093 , 6297148760	IV	SUKNA

रिजा ठाकुर

कृ. पृ. उ.

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. स. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2020-21 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि **31.08.2020** है।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।

प्रा. क. वि. स.
7/8/20
संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Shri Raju Bista माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, के वि सं, KOLKATA संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु। (ई. मेल)